starvation and just keeping their body and soul together on the various assurance of the Union Ministers and Chief Minister and Labour Minister of U.P. A decision has since been taken both by the Centre and the State Government, U. P. to take over these mills under the National Textile Corporation. During discussions on the Demands for Grants of the Commerce Ministry recently, the hon. Minister of Commerce assured us that a final decision has been taken to take over these mills and certain legal aspects are being considered by the Law Ministry. I was told by Prof. D. P. Chattopadhyaya, that the Schedule attached to the Sick Mills Taking-over Act is to be amended to include these two textile mills, namely Laxmi Rattan Cotton Mills and Atherton West Mills. I was expecting a Bill to be passed in this Session but unfortunately this is not done.

Sir, it is a tragedy that so many Bills, expected and unexpected, have been introduced and passed even after waiving the rules, but the sufferings of these 11,500 workers and their family members could not be ended by bringing in a piece of legislation, which would have been passed even within five minutes. I remember how sympathetic was our Prime Minister when a delegation of these starving workers met her. Now these workers and their family members can only be saved from further starvation if an Ordinance is brought immediately after this session ends because there is no other way out. So, about the Kanpur Jute Udyog, that should not be left to Shri Alexander himself who has squandered the money; or swindled the money. It should be taken over. I appeal to this House, in the name of the suffering humanity and in all humility and earnestness, to support this cause.

In the end, I once again appeal to the hon. Ministers of Commerce, Industry, Labour and Law and also our Prime Minister not to delay it any more but bring in an Ordinance with courage and conviction as in the past. I hope, Sir, the sufferings of these thousands of workers and their family members will come to an end very soon.

I now request the Hon. Minister to make a statement thereon.

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): Sir, we have already said that we propose to see that these two textile mills—Laxmi Rattan Cotton Mills and Atherton West Mills—are opened as quickly as possible. We have initiated the necessary administrative and legal measures But we could not complete that. As soon as we complete it, we will issue the Ordinance or we shall come before the House and make a suitable law.

So far as Kanpur Jute Udyog Mill is concerned, the owner came to see me yesterday and he assured me that by June 1976, that is within the next two or three weeks' time, the mill will be opened. Because its production was related to the production of another cement factory owned by the same company, namely, the Swaimadhopur Cement Company, he assured me that, after that is opened this would be opened by 15th June. Sir, I share the anxiety and concern of the hon. Member and I shall try to see that all these three mills are opened.

11.34 hrs.

(iii) Alleged arrest of Shri Ramavatar Shastri M. P. and ill treatment by Police

श्री रामावतार शास्त्री (पटना)

अध्यक्ष महोदय, देश में चल रही आपात-कालीन स्थिति और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिये रेल मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन ने रेल मजदूरों

[श्री रामावतार शास्त्री]

के बीच ग्राम सभाओं का आयोजन करने का कार्यक्रम निर्धारित किया। मैं इस यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के भूतपूर्व विधायक श्री रामबालक सिंह महामंत्री हैं। यूनियन के इस निर्णय के अनुसार ही गत 20 मार्च को मुंगेर जिले के झाझा नामक स्थान में यूनियन की स्थानीय शाखा ने रेल मजदूरों की आम सभा आयोजित की। झाझा पूर्व रेलवे का एक मुख्य केन्द्र है जहां कई हजार रेल मजदूर काम करते हैं।

सभा का आयोजन 20 मार्च को 5 बजे सन्ध्या में किया गया था। जब मैं श्री राम बालक सिंह के साथ निश्चित समय पर सभा स्थल पर पहुंचा तो देखा कि झाझा थाना के दारोगा सभा स्थल पर लगे माइक खुलवा रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या सभा करने पर पाबन्दी है या आप मेरे ऊपर सभा नहीं करने की नोटिस तामील करना चाहते हैं। दारोगा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद बिना माइक के ही हम लोगों ने सभा की कार्यवाही शुरू कर दी। सबसे पहले श्री राम बालक सिंह बोले। उनके बाद मैंने बोलना प्रारम्भ किया। मैं बोल ही रहा था कि झाझा थाना के पुलिस इंस्पेक्टर और इचार्ज प्रखंड विकास पदाधिकारी करीब एक दर्जन बिहार सशस्त्र पुलिस और कुछ लाठी धारी पुलिस के साथ सभा स्थल पर आ धमके। सभा स्थल रेलवे का था। आते ही उन लोगों ने सभा में एकत्रित रेल मजदूरों को बन्दूक और लाठी भांज कर डराना और धक्का देकर भगाना शुरू कर दिया। फिर भी मजदूर शान्त रहे। अगर उस दिन कोई अप्रिय घटना घट जाती तो उसकी पूरी जवाबदेही पुलिस की होती।

अपने भाषण के दौरान मैंने पुलिस इंस्पेक्टर और प्रखंड विकास अधिकारी से भी पूछा कि क्या बीस सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में सभा पर कोई रोक है या आप लोग मेरे भाषण पर रोक लगाना चाहते हैं। उन लोगों ने तैश में आकर केवल इतना ही जवाब दिया कि एमरजेंसी में वे किसी भी प्रकार की सभा नहीं होने देंगे।

सभा समाप्त करने के बाद जब हम लोग जाने लगे तो कुछ दूर जाने पर मालूम हुआ कि हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने के रास्ते में ही रेलवे अधिकारियों का विश्रामगृह था जहां हमें इजाजत लेकर ठहराया गया था। हम लोगों का सामान वहीं था। विश्रामगृह के गेट पर पहुंचते ही मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से वहां जाकर सामान (ब्रीफकेस) लेने की बात कही और गेट की ओर मुड़ा। बस क्या था, पुलिस इन्स्पेक्टर ने मेरे हाथ और बदन को पुलिस की मदद से कस कर जकड़ लिया, धक्का देना और घसीटना शुरू किया। पुलिस इंस्पेक्टर के इस दुर्व्यवहार के कारण मुझे थोड़ी चोट भी लगी। पुलिस इंस्पेक्टर श्री जय प्रकाश नारायण के प्रतिगामी एवं फासिस्ट आन्दोलन के समर्थक रहे हैं जिसके कारण आज भी उस प्रकार के लोग उस क्षेत्र में छूटा घूम रहे हैं।

अन्त में हम लोग अपने सामान के साथ झाझा थाना पहुंचे। वहां पहुंचते ही पुलिस

इंस्पेक्टर और डी० डी० श्रो० लापता हो गये। हमें वहां छः बजे शाम से साढ़े दस बजे रात तक अकारण बैठा कर रखा गया। साढ़े दस बजे रात्रि में हमें एक छोटी टैक्सी में बैठा कर जमुई भेजा गया। टैक्सी में आठ व्यक्ति सवार थे। फलतः ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी। तकलीफ़ की हालत में हमें साढ़े ग्यारह बजे रात्रि में 21 मील की दूरी तय कर जमुई पहुंचाया गया। रात्रि में ही एस० डी० श्रो० के बंगले पर हमें डेढ़ घंटे तक टैक्सी में बिठा कर रखा गया। उन्होंने इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखलाया कि वह हमसे मिलते और कहीं बिठाने की व्यवस्था करते। इतना ही नहीं उन्होंने हम में से किसी को उच्च श्रेणी में रखने की सिफ़ारिश तक नहीं की। कानूनन कोई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ही हमें जेल में रिमांड कर सकते थे एस० डी० श्रो० नहीं . . .

अध्यक्ष महोदय : तफ़सील में मत जाइए।

श्री रामावतार शास्त्री : यह गैर कानूनी भी था. . . . .

अध्यक्ष महोदय : गैर कानूनी तो यहां तय नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने मुझे इजाजत दी है। थोड़ी सी बात तो सुन लें। परन्तु एस० डी० श्रो० ने अपने हस्ताक्षर से जमुई सब जेल में एक बजे रात्रि में हमें भेजा। जेल में रहने का स्थान नहीं था क्योंकि आबादी दुगुनी हो चुकी थी। हमने किसी तरह उस जेल में रात बिताई। 21 मार्च को हमें स्पेशल सेंट्रल जेल, भागलपुर पहुंचाया गया। वहां भी एस० डी० श्रो० ने ही जेल में रिमांड किया। हमें भारत रक्षा कानून की धारा 69(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और पेशी के सबूत में उसके हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है। परन्तु हमें न जमुई और न भागलपुर में ही एस० डी० श्रो० या किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दोनों एस० डी० श्रो० में से किसी का भी दर्शन हमें नहीं मिला। इस प्रकार हमारी गिरफ्तारी पूर्णतः गैर-कानूनी थी।

जिस प्रकार से मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया और जिस गैरकानूनी तरीके से मुझे छः दिनों तक जेल में रखा गया वह संसद् और मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। पुलिस और कार्यपालिका को स्वच्छन्द होने देना जनतंत्र के लिये घातक है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद मुझे आपके सचिवालय ने 1-5-76 को गृह मंत्रालय का एक नोट भेजा। उसका एक वाक्य मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। उस नोट में उन्होंने लिखा है :

"State Government have also denied the allegations of mis-behaviour levelled by Shri Ramavatar Shastri, M. P. as totally *false*."

मुख्य मंत्री ने ऐलान किया था कि जिला मजिस्ट्रेट मुंगेर इस घटना की जांच करेंगे। उन्होंने अभी तक जांच नहीं की है। उनका पत्र मुझे इस सम्बन्ध में मिला है कि वह पन्द्रह मई के बाद किसी दिन भी मैं अगर जाऊं तो

[अध्यक्ष महोदय]

जांच करने को तैयार हैं। मैंने उन्हें सूचित किया है कि मैं चार जून को आ सकता हूं। तो उन्होंने अभी जांच कार्य शुरू तक नहीं किया। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि यह जो अभियोग है वह गलत है, माननीय रामावतार शास्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस निष्कर्ष पर बिना जांच पड़ताल के बिहार सरकार कैसे पहुंची? क्या इसको आप उचित समझते हैं कि जांच के पहले ही बिहार जैसी सरकार यह फतवा दे दे कि इनके साथ कोई गैर-कानूनी कार्य या दुर्व्यवहार नहीं किया गया? तो इस तरह की बात मेरी समझ में नहीं आती कि बिहार सरकार ने कैसे आपके पास लिखा। मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की आप खबर लेकर इस सदन के सामने बयान दिलवाएं ताकि मालूम हो कि सचमुच आप पुलिस की ज्यादती के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। वरना पुलिस की ज्यादती इस इमरजेंसी में ज्यादा बढ़ गई है, वे जो चाहते हैं करते हैं। इसलिये इस के बारे में गृह मंत्री महोदय बतायें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): Sir, acording to the information furnished by the Government of Bihar a public meeting was organised at Jhajha, Monghyr, on 20-3-76 by the Eastern Railway Employees' Union in contravention of the prohibitory orders in force in that area. The Officer-in-Charge, Jhajha Police Station, had earlier advised Shri Ram Balak Singh, the General Secretary of the Union, not to organise any meeting without obtaining prior permission and had also served a notice upon him to that effect.

The public meeting was, however, started without obtaining permission. Shri Ramavtar Shastri and Shri Ram Balak Singh who were both participating in the meeting refused to wind up the meeting despite advice from the authorites on the spot. Both were then arrested and taken to the Police Station. A case under rule 69(4) DISIR/188 IPC was registered at P.S. Jhajha Sri Shastri was released from jail on 25-3-1976.

The State Government have orderd an inquiry by the District Magistrate, Monghyr, into the allegation of ill-treatment meted out to Shri Ramavtar Shastri by the police. The result of inquiry is awaited. I am further told that Mr. Ramavtar Shastri has been given notice of that and the enquiry may start round about the 4th of June.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: But how the Bihar Government informed you that the allegation was baseless before an enquiry was made?

आप सीधे सीधे कहिये कि बिहार सरकार ने मिस-इन्फार्म किया है सदन को। आपके पास जो बयान भेजा गया 24-4-76 को उसके द्वारा—

It was written that "the State Government have also denied the allegation of mishaviour levelled by Shri Ramavtar Shastri, M. P. as totally false." How the Bihar Government came to the conclusion that the allegation was baseless before the enquiry was completed. The enquiry has not started.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: The information that we gave to the hon. Member was on 24-4-1976. While speaking on a motion or some discussion in the State Assembly, the Chief Minister, on the 23rd would be made by the District Magistrate and Shri Shastri would also be informed.

MR. SPEAKER: So, let the enquiry proceed. (*Interruptions*)

11.44 hrs.

(iv) Reported death of three workers in Bhanora Colliery (Asansol)